रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 1981/वैशाख 17, 1903
No. 171] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 1981/VAISAKHA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1981

तार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख") भर्ती नियम, 1981

सा० का० नि० 323(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तार इंजीनियरी सेवा (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1966 को अधिक्रांत करते हुए, डाक-तार विभाग में तार इंजीनियरी सेवा, समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, परिवीक्षा और प्रोन्नति :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 और इन नियमों के परिशिष्ट 1 से 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परिशिष्ट I

मुम्बई और कलकत्ता के टेलीफोन जिलों के भूतपूर्व कम्पनी कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की बाबत परिशिष्ट 2 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए सेवा में भर्ती पैरा 2 में यथा उपवर्णित चयन की पद्धति द्वारा पैरा 3 में उल्लिखित पद्धधारियों में से पदोन्नति द्वारा की जाएगी ।.

2. (i) 66-2/3 प्रतिशत ऐसे पदधारियों में से, जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, सम्यक् रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ।

(ii) 33-1/3 प्रतिशत आपेक्षिक गुणागुण के आधार पर समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ।

(iii) ऐसे अधिकारियों की, जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिन्होंने समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, पारस्परिक ज्येष्ठता का अनुपात, विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन की पद्धति द्वारा चयन किए गए अधिकारियों से आरम्भ करते हुए, 2 : 1 में होगा ।

3. पदधारियों के निम्नलिखित प्रवर्ग सेवा में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे :—

(i) कनिष्ठ इंजीनियर

(ii) निम्नलिखित पदाभिधान के भूतपूर्व कम्पनी पदधारी :

(क) मुम्बई टेलीफोन जिला
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (विद्युत)
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (केबल)
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (एक्सचेंज)

(ख) कलकत्ता टेलीफोन जिला
मुख्य एक्सचेंज निरीक्षक
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (एक्सचेंज)
मुख्य परीक्षण लिपिक
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (लाइन)
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (प्रतिष्ठापन)
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (केबल)

4. सेवा में प्रोन्नति के लिए अर्हता-एवं-प्रतियोगिता परीक्षा नामक सामान्यत: दो भागों में एक परीक्षा होगी और एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार, इन नियमों के परिशिष्ट 3 में विहित रीति में और पाठ्यविवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी ।

टिप्पण :—इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् केवल प्रथम दो परीक्षाएं प्रतियोगी होंगी, जिनके लिए पात्रता केवल ऐसे अधिकारियों तक निर्बन्धित होगी, जिन्होंने इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व आयोजित विभागीय अर्हता परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है ।

5. परीक्षा के प्रत्येक भाग में प्रवेश पाने के लिए पात्रता निम्नलिखित रूप में होगी :—

(क) विभागीय अर्हता परीक्षा

(i) ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर, जिन्होंने उस वर्ष की, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, 1 जनवरी को उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली है ।

(ii) ऐसे भूतपूर्व कम्पनी पदधारी, जिन्होंने उस वर्ष की, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, 1 जनवरी को, अपनी-अपनी श्रेणियों में कम से कम पांच वर्ष निरन्तर सेवा की है ।

(ख) समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा :

(i) ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर जिन्होंने उस वर्ष की जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है 1 जनवरी को उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली है ।

(ii) ऐसे भूतपूर्व-कम्पनी पदधारी जिन्होंने उस वर्ष की जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है 1 जनवरी को अपनी अपनी श्रेणियों में कम से कम पांच वर्ष निरन्तर सेवा की है ।

6. ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचारार्थ विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ऐसे अनुदेशों के अनुसार तैयार की जाएगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

परिशिष्ट 2

मुम्बई और कलकत्ता टेलीफोन जिलों में जिन्हें मुम्बई और कलकत्ता टेलीफोन जिलों के भूतपूर्व कम्पनी कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है सेवा पर नियुक्ति नीचे उपवर्णित रीति में की जाएगी :—

2. निम्नलिखित काडरों के पदधारी अपने-अपने जिलों में आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र होंगे :—

मुम्बई टेलीफोन जिला

इंजीनियरी पर्यवेक्षक (विद्युत)
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (केबल)
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (एक्सचेंज)

कलकत्ता टेलीफोन जिला

मुख्य एक्सचेंज निरीक्षक
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (एक्सचेंज)
मुख्य परीक्षण लिपिक
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (लाइन)
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (प्रतिष्ठापन)
इंजीनियरी पर्यवेक्षक (केबल)

3. प्रोन्नति कोटा के 66-2/3 प्रतिशत में नियुक्ति पैरा 2 में उल्लिखित काडरों के ऐसे कर्मचारियों में से जो विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं सम्यक् रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति समति की सिफारिशों पर चयन द्वारा की जाएगी ।

4. शेष 33-1/3 प्रतिशत कोटा में नियुक्ति सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की बाबत जारी की गई चयन सूची में यथा उपवर्णित गुणागुण के क्रम में की जाएगी ।

5. परीक्षा का संचालन करने के लिए नियम और उसका पाठ्य-विवरण ऐसे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं ।

6. ऐसे पदधारी जिन्होंने उस वर्ष की जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है 1 जनवरी को अपनी-अपनी श्रेणियों में कम से कम पांच वर्ष निरन्तर सेवा की है परीक्षा में प्रवेश पाने के हकदार होंगे ।

7. ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचारार्थ विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ऐसे अनुदेशों के अनुसार तैयार की जाएंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

3. Method of recruitment, probation and promotion.—The method of recruitment, age limit and other matters connected with the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule and Appendix I to III to these rules.

4. Disqualification :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the service :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions equired to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whe'her benefit of added years of Sevice admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Engineers	*3760 (1981) *subject to variation dependent on workload	Telegraph Engineering Service Group 'B' Gazetted	Rs. 650-30-740-35-810-EB--880 40-1000-EB-40-1200	Selection	Not Applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By promotion	(i) 66-2/3 per cent of the promotion quota: By selection on the basis of Departmental Qualifying Examination conducted in accordance with provisions laid down in Appendix I, Appendix II and Appendix III to these rules. (ii) 33-1/3 per cent of the promotion quota: By selection on the basis of limited Departmental Competitive Examination conducted in accordance with provisions laid down in Appendix I, Appendix II and Appendix III to these rules	Group 'B' DPC: (1) Member (TO) P&T Board—Chairman (2) Deputy Director General (T) P&T Directorate—Member (3) Director (Staff Telecom.) P&T Directorate —Member (4) An officer of appropriate status belonging to Scheduled Castes / Scheduled Tribes —Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary whil amending or relaxing any of the provisions of these rules.

(ii) One paper of General Standard in :

(a) "Transmission" and Lines, Cables and Telegraphs, or

(b) "Telephony" and Lines, Cables and Telegraphs

or

(c) "Telephony" and "Transmission".

(iii) One paper in Code Rules (with books)

Notes :—

(a) If a candidate takes paper (i) (a), he will have to take paper (ii) (a), if he takes paper (i) (b) then he will have to take paper (ii) (b), and if he takes paper (i)(c) then he will have to take paper (ii) (c).

(b) Each paper will carry 100 marks.

(iv) The minimum pass marks for qualifying in the examination will be 40 per cent in each paper for other communities candidates and 35 per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates.

2. Limited Departmantal Competitive Examination :

(i) (a) Advanced Technical Paper—
General ....100 marks

(b) Advanced Technical Paper—
Special ....100 marks

(c) General Knowledge and
Current Affairs ....50 marks

(d) Assessment of Confidential
Reports ....75 marks

(ii) (a) The minimum pass marks in the examination shall be 50 per cent for general candidates and 45 per cent for Scheduled Castes and Schfduled Tribes Candidates and the names of successful candidates shall be included in the merit list on the basis of selection merit. For equal marks, the seniority in the Junior Engineers, cadre shall prevail while making placement in the overall seniority, along with those selected by the Departmental Promotion Committee (In case there are more than one candidate for the last place by competitive examination, the seniormost officials have the place and the rest shall be rejected and no competitive list will be carried over to the next selection).

(b) The maximum number of chances which could be availed of by a candidate shall be restricted to three.

3. The standard and syllabus of both the examinations shall be such as the Posts and Telegraphs Board may specify from time to time.

4. The candidates shall have the option to take both the examinations together or to take Departmental Qualifying Examination initially and the Limited Departmental Competitive Examination in subsequent years. However, for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination, it shall be obligatory to qualify in the departmental qualifying examination. In other words, if a candidate takes both the Examinations together and fails in the Qualifying part, he will not be considered for the competitive examination of that year or till he qualifies in the qualifying examination.

5. The officials who have qualified in the Examinations held from time to time before the commencement of these rules shall be deemed to be qualified in the Departmental Qualifying Examination for the purpose of appointment against 66-2/3 per cent quota as per papra 1 in Appendix I and for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination against 33-1/3 per cent quota subject to para 2(ii)(b) above.

[No. 232/17/80. STG-II]
M. M. WAGLE,
Member, Posts and Telegraphs Board
and
Ex-officio Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981